अनुदान संख्या 28 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 28–MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1238,70,00		1275,87,00	1258,81,98	–17,05,02
पूरक	Supplementary	37,17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,50,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	154,37,00		156,13,00	147,77,55	–8,35,45
पूरक	Supplementary	1,76,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1705.02 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 3717.00 लाख रु. के पूरक अनुदानों का 46 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1705.02 lakhs) constituted 46 percent of the supplementary grants of Rs.3717.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	350.00	370.00	364.84	–5.16
पू.	S.	20.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas	.	8325.00	6841.26	–1483.74
मुख्य शीर्ष ''3056'' अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	149.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–149.00			

(I) 752.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 749.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य'' -

(क) ''शंकर देव नेत्रालय, गुवाहाटी को सहायता'' - 200.00 लाख रु. स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर को सहायता अनुदान'' - 400.00 लाख रु. संस्थान का अंतरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3056'' - ''अन्य व्यय'' - 149.00 लाख रु. स्कीम का अंतरण जहाजरानी विभाग को किए जाने के कारण थे।

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा विकास मंत्रालय'' के अंतर्गत 350.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 370.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो व्यावसायिक सेवाओं के लिए स्वीकृति जारी करने में

(I) Provision of Rs.752.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.749.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Medical and Public Health" -

(a) "Support to Sankar Dev Netralaya, Guwahati" – Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of approval of Standing Finance Committee.

(b) "Grants-in-aid to Lokopriya Gopinath Bordolai Institute of Mental Health, Tejpur" – Rs.400.00 lakhs – due to transfer of the institute to Ministry of Health and Family Welfare.

(B) Major Head "3056" – "Other Expenditure" – Rs.149.00 lakhs – due to transfer of the scheme to the Department of Shipping.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat – Ministry of Development of North Eastern Region" - the original provision of Rs.350.00 lakhs was augmented to Rs.370.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent

विलंब होने के कारण 5.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

of Rs.5.16 lakhs – due to delay in issue of sanction for professional services.

(III) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2552" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य विविध मदें" - 454.64 लाख रु. की बचत (5002.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों द्वारा पूर्वोत्तर में औद्योगिकीकरण के संवर्धन संबंधी स्कीम के अंतर्गत न्यायालयीन मामले दर्ज किए जाने की वजह से निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Other Miscellaneous Items" – saving of Rs.454.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5002.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds owing to court cases filed by the Applicants under the Scheme for Promotion of Industrialisation in North East (SPINE).

(खा) "पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में परियोजना नियोजन और निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना" - 244.49 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निगरानी और मूल्यांकन संबंधी कार्य के लिए चुने गए तीन अभिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Setting up of Project Planning and Monitoring Cell in NEC Secretariat" – saving of Rs.244.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-finalisation of Memorandum of Understanding with the three agencies selected for the work of Monitoring and Evaluation.

(गा) "संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला आदि के लिए सहायता" - 118.80 लाख रु. की बचत (251.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में क्षेत्रीय आंचलिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने और विश्वविद्यालयों/कालेजों से संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Support for Seminar/Symposium/ Workshop etc." – saving of Rs.118.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.251.00 lakhs) was due to conduction of less number of Regional Sectoral Summits and receipt of less number of proposals for seminars/workshops from Universities/Colleges.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.32 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थीं।

(IV) Under one head saving of Rs.80.32 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (835.45 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 176.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.835.45 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.176.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas		9100.00	8264.55	–835.45
मुख्य शीर्ष ''6851'' ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6851" Loans for Village and Small Industries				
मू.	O.	337.00	513.00	513.00	. .
पू.	S.	176.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''नागर विमानन - पूर्वोत्तर क्षेत्रा में विमानपत्तन में सुधार के लिए सहायता'' के अंतर्गत 1800.36 लाख रु. की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर परिषद द्वारा नए विमानपत्तन के विकास संबंधी कार्य को शुरू न किए जाने की वजह से पूर्वोत्तर परिषद द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''6851'' - ''सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड'' के अंतर्गत 137.00 लाख रु. की बचत (337.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा संसाधनों का आंतरिक उत्पादन किए जाने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (137.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष ''6851'' - ''सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पूर्वोत्तर क्षेत्रा कृषि विपणन निगम लिमिटेड'' के अंतर्गत 176.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) Under Major Head "4552" - "Civil Aviation - Support for improvement of Airport in NE Region" – saving of Rs.1800.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the North Eastern Council owing to non-taking up of new Airport for development by the North Eastern Council.

(II) Under Major Head "6851" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings – North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation Ltd." - saving of Rs.137.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.337.00 lakhs) was due to internal generation of resources by the North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation Limited.

3.(I) The above savings were partly (Rs.137.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.176.00 lakhs under Major Head "6851" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings – North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''सड़कें और पुल - सीमा सड़क संगठन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली आर्थिक महत्व की/अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण/सुधार'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 994.94 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4552" - "Roads and Bridges - Construction/Improvement of roads of Economic Importance/Inter State Roads to be executed through the Border Road Organisation" - excess of Rs.994.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by the Border Roads Organisation for construction of roads in North Eastern Region.